राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5303/2022

इन्द्रा चन्द्रा तिवाड़ी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, ज्योति नगर, जयपुर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.10.2022
आदेश की दिनांक : 07.06.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : स्वयं
प्रत्यर्थीगण की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि वित्त विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 26.09.2018 के द्वारा अपीलार्थी की पेंशन पुनरीक्षित की जावे तथा व्याख्याता के पद पर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उसका काल्पनिक वेतन निर्धारण किया जावे। वित्त विभाग के ममोरेण्डम दिनांक 12.06.2019 एवं रिवाईज्ड अर्थोरिटी संख्या 0141–5032664 (R)(प्री–2006) दिनांक 10.10.2017 के द्वारा पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग द्वारा जारी की गई आर.पी.बी. 37400–67000 मय ए.जी.पी. 9000 अपीलार्थी पुनरीक्षित पेंशन एकेडमिक लेवल 13A पाने का हकदार है।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह अभिकथन है कि अपीलार्थी कॉलेज शिक्षा विभाग से दिनांक 30.04.2000 को सेवानिवृत्त हुआ। जब वह व्याख्याता के पद की यू.जी.सी. वेतनमान के तहत 12000–420–18300 वेतन प्राप्त कर रहा था। अपीलार्थी की पेंशन निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स विभाग द्वारा आर.पी.बी. 37400–67000 मय ए.जी.पी. 9000 में पुनरीक्षित की गई। अपीलार्थी उक्त वेतनमान के साथ काल्पनिक वेतन निर्धारण का भी हकदार है। उक्त रिवाईज्ड आर्थोरिटी,

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित सिविल अपील संख्या 1123/2015 राजस्थान राज्य बनाम महेन्द्र नाथ शर्मा में पारित आदेश दिनांक 01.07.2015 की अनुपालना में जारी की गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 15670/2016 में पारित निर्णय आदेश दिनांक 19.04.2017 में यह आदेश दिया है कि यदि सेवानिवृत्त होने के तीन वर्ष तक वेतनमान 12000–18300 में कार्य किया है तो वह पेंशन पुनर्निधारण का हकदार है। उनका यह भी कथन है कि वित्त विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 12.06.2019 के द्वारा जो अध्यापक सेवानिवृत्त हैं। पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शारीरिक अध्यापक दिनांक 01.01.2016 से पूर्व यू.जी.सी. पे स्केल पा रहे हैं, उनका वेतनमान एकेडमिक लेवल में निर्धारित होगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जो पेंशनधारी रनिंग पे बैण्ड 37400–67000 एकेडमिक ग्रेड पे 9000 दिनांक 01.01.2006 से पा रहे हैं। वह एकेडमिक लेवल 13ए दिनांक 01.01.2006 से यूजीसी सातवें वेतन आयोग में पाने के हकदार हैं। कॉलेज लेक्चरार के पद का वेतनमान अपीलार्थी के सेवानिवृत्त होने तक दिनांक 30.04.2000 से अपग्रेड नहीं किया गया और न ही छठवें एवं सातवें वेतन आयोग में निर्धारण किया गया। उनका कथन है कि वेतन नोशनल निर्धारण की तिथि से उच्च वेतनमान में निर्धारित किया गया। वार्षिक वेतन वृद्धि भी उच्च वेतनमान में स्वीकृत की गई, परंतु एरियर का भुगतान नहीं किया गया। उनका कथन है कि पिछले दो वर्षों से पेंशन का निर्धारण न करते हुए वित्त विभाग मेमो दिनांक 12.06.2019 एवं 05.11.2019 के प्रावधानों को नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रत्यर्थी विभाग जानबूझकर एकेडमिक लेवल 13ए में काल्पनिक वेतन निर्धारण एवं पेंशन निर्धारण का लाभ नहीं दे रहा है, जबकि अपीलार्थी उक्त लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः उक्त आधारों पर अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि वित्त विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 26.09.2018 के द्वारा अपीलार्थी की पेंशन पुनरीक्षित की जावे तथा व्याख्याता के पद पर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उसका काल्पनिक वेतन निर्धारण किया जावे। वित्त विभाग के ममोरेण्डम दिनांक 12.06.2019 एवं रिवाईज्ड अर्थोरिटी संख्या 0141–5032664 (R)(प्री–2006) दिनांक 10.10.2017 के द्वारा पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग द्वारा जारी की गई आर.पी.बी. 37400–67000 मय ए.जी.पी. 9000 अपीलार्थी पुनरीक्षित पेंशन एकेडमिक लेवल 13A पाने का हकदार है।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी के पेंशन प्रकरण का निस्तारण इस कार्यालय के आदेश दिनांक 23.05.2000 के द्वारा पी.पी.ओ. संख्या 142986(आर), जी.पी.ओ. संख्या 168235(आर) तथा सी.पी.ओ. संख्या 150650(आर) जारी किए गए हैं। अपीलार्थी के संशोधित पेंशन प्रकरण का निस्तारण इस कार्यालय के पत्र दिनांक 12.10.2017 के द्वारा संशोधित अधिकृत संख्या 5032664(आर) प्री–2006 जारी की गई। अपीलार्थी के प्री–2016 के पेंशन प्रकरण संशोधन के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया, जिसके क्रम में कार्यालय के पत्र क्रमांक 3622 के द्वारा एवं वित्त विभाग के आदेश दिनांक 28.06.2022 के द्वारा प्रेषित प्रकरण वित्त विभाग को संदर्भित किए जाने पर उनके द्वारा दिनांक 24.06.2022 पर प्रदत्त परामर्श की प्रति एवं पत्र दिनांक 11.02.2020 की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु पेंशन विभाग को भिजवाई गई, जिसके क्रम में मार्गदर्शन की प्रति संलग्न कर कोषाधिकारी, सीकर को आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी व्याख्याता कॉलेज शिक्षा के पद से दिनांक 30.04.2000 को अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्त हुआ। वह यू.जी.सी. वेतनमान के तहत 12000–420–18300 वेतन प्राप्त कर रहा था। अपीलार्थी की पेंशन निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स विभाग द्वारा आर.पी.बी. 37400–67000 मय ए.जी.पी. 9000 में पुनरीक्षित की गई। जहां तक अपीलार्थी वित्त विभाग के ममोरेण्डम दिनांक 12.06.2019 एवं रिवाईज्ड अर्थोरिटी संख्या 0141–5032664 (R)(प्री–2006) दिनांक 10.10.2017 के द्वारा पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग द्वारा जारी की गई आर.पी.बी. 37400–67000 मय ए.जी.पी. 9000 अपीलार्थी पुनरीक्षित पेंशन एकेडमिक लेवल 13A न दिए जाने का संबंध है, हमारे मत में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के संशोधित पेंशन प्रकरण का निस्तारण इस कार्यालय के पत्र दिनांक 12.10.2017 के द्वारा संशोधित अधिकृत संख्या 5032664(आर) प्री–2006 जारी की जा चुकी है, फिर भी यदि अपीलार्थी का कोई भुगतान शेष रहता है तो इस संबंध में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के आधार पर क्रमशः बिंदुवार मांगों को अंकित कर दो सप्ताह में प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करे और प्रत्यर्थी

विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि राज्य सरकार के परिपत्र/दिशा–निर्देश/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य